भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 901

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग

901. श्री नलिन सोरेन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार झारखंड और जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की क्षमता के विकास और विस्तार के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत झारखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए कोटा बढ़ाने पर भी विचार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क की लंबाई मार्च, 2014 में 2,968 किमी से बढ़कर वर्तमान में 3,633 किमी हो गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। झारखंड राज्य सहित देश भर में, यातायात सघनता, संपर्कता की आवश्यकता, सड़क की अवस्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर, अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार/छह/आठ लेन के मानकों तक क्षमता वृद्धि सहित कार्य शुरू किए जाते हैं।

(ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2019 में संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के तहत राज्य की सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निधि आबंटित करता है।

सरकार ने संशोधित अधिनियम के अंतर्गत सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधि आबंटन के मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया है।

मानदंड में अन्य बातों के साथ-साथ ईंधन की खपत को 30 प्रतिशत महत्व तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र को 70 प्रतिशत महत्व के आधार पर निधियों का आवंटन, निधि जारी करते समय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास वर्ष के लिए उपार्जन/जारी के एक तिहाई का चक्रीय संतुलन बनाए रखना, उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने से जुड़ी तिमाही किस्तों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना आदि शामिल हैं।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान झारखंड और जम्मू कश्मीर राज्यों में सीआरआईएफ योजना के तहत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के संग्रहीत और जारी निधियों का विवरण निम्नानुसार है:-

करोड़ रू में

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26 (30.06.2025 तक)**	
	संग्रहीत #	**जारी***	**संग्रहीत #**	**जारी***	**संग्रहीत #**	**जारी***	**संग्रहीत #**	**जारी***
झारखंड	184.96	81.56	207.57	192.64	208.51	251.61	231.56	89.91
जम्मू और कश्मीर	113.61	343.61	128.67	206.67	128.67	128.67	141.54	0.00

***सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत, संबंधित वर्ष के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पूर्व वर्षों की अव्ययित शेष राशि से प्राप्त राशि से अधिक धनराशि जारी की गई है।**

#सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत सेतु बंधन के अंतर्गत राज्य सड़कों पर आरओबी/आरयूबी/पुलों के निर्माण हेतु आबंटित/जारी धनराशि सहित।

*****